प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 23.10.2026

➢ **थाना मूसानगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों एवं 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।**

➢ **गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक अदद फोल्डिंग बटनदार चाकू बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना मूसानगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 23.10.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती रचना देवी पत्नी स्व0 रामगणेश, निवासी ग्राम गुलौली बाजपेयी का पुरवा, थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा उनके पति के साथ मारपीट कर चाकू से वार कर घायल कर देने तथा उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना मूसानगर पर मु0अ0सं0 0125/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत 03 नामजद अभियुक्तों/अभियुक्ता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए थाना मूसानगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्तगण 1. सत्यम कश्यप उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र दीनदयाल कश्यप, 2. राघवेन्द्र उर्फ सेट्टी उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र शिवगोपाल तथा अभियुक्ता 3. 01 अभियुक्ता, समस्त निवासीगण ग्राम गुलौली बाजपेयी का पुरवा, थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद फोल्डिंग बटनदार चाकू बरामद किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. सत्यम कश्यप उम्र 25 वर्ष पुत्र दीनदयाल कश्यप निवासी ग्राम गुलौली बाजपेयीकापुरवा थना मूसानगर जनपद कानपुर देहात
2. राघवेन्द्र उर्फ सेट्टी उम्र 32 वर्ष पुत्र शिवगोपाल निवासी ग्राम गुलौली बाजपेयीकापुरवा थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात
3. एक अभियुक्ता

पूछताछ अभियुक्तगण- पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि मृतक रामगणेश उर्फ राममोहन के पिता पन्नालाल नजरबंदी का काम करते हैं। इसी बात को लेकर हमारी उनसे नाराजगी थी, क्योंकि सत्यम कश्यप के घर में एक बच्चे की नजर लगने से मृत्यु हो गई थी। सत्यम कश्यप ने पन्नालाल को अपने दरवाजे पर बैठने से मना किया था। दिनांक 22.10.2026 को पन्नालाल फिर से सत्यम कश्यप के दरवाजे पर बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे, जिससे उसकी पत्नी एवं बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। इसी बात को लेकर सत्यम कश्यप और राघवेन्द्र रात करीब 09.00 बजे पन्नालाल के घर गए और उन्हें अपने दरवाजे पर न बैठने के लिए कहा। इसी बात को लेकर रामगणेश से हमारी कहासुनी एवं गाली-गलौज होने लगी और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। शोर सुनकर राघवेन्द्र की पत्नी राधा भी मौके पर आ गई। इसी दौरान सत्यम कश्यप ने अपनी जेब में रखा चाकू निकालकर रामगणेश के पेट में मार दिया।

इसके बाद सत्यम कश्यप चाकू लेकर मौके से भाग गया तथा बगिया से कुछ पहले सड़क किनारे झाड़ियों में चाकू छिपा दिया। अभियुक्तगण ने आगे बताया कि जब हम लोगों को जानकारी हुई कि रामगणेश की मृत्यु हो गई है, तो हम पुलिस से बचने के लिए पाल बगिया में छिपकर बैठे थे, ताकि मौका मिलने पर वहां से भाग सकें। इसी दौरान पुलिस ने हम लोगों को पकड़ लिया तथा सत्यम कश्यप की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया।

बरामदगी-

1. हत्या में प्रयुक्त 01 फोल्डिंग बटनदार चाकू।

गिरफ्तार करने वाली थाना मूसानगर पुलिस टीम-

1. श्रीमती अमिता वर्मा, थानाध्यक्ष मूसानगर।
2. उ0नि0 श्री आशीष शुक्ला।
3. का0 587 नितिन चौहान।
4. का0 1089 शैलेन्द्र कुमार।
5. म0का0 1398 दीप्ति कुमारी।